# प्रदेश में सफल हो रहा सेवा संकल्प अभियान

## 3 और 4 अक्टूबर को लगेंगे सेवा सेतु शिविर

**राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुए एक माह के सेवा संकल्प अभियान 2026 को प्रदेश में अच्छी सफलता मिल रही है।

अभियान के तहत बीते 12 दिनों में अनेक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में अभियान की गतिविधियों की जानकारी लेकर अधिकारियों को आगामी कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के छह जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ और आलीराजपुर में निर्धारित थीम पर मानव रंगोली बनाई जाएगी। सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी।

अभियान के तहत 17 सितंबर को प्रदेश में 3 करोड़ 87 लाख 80 हजार 463 दीप जलाए गए, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख 85 हजार 60 नागरिकों ने सहभागिता की। उज्जैन में 33 लाख 27 हजार 125 दीप जलाए गए। 19 से 26 सितंबर के बीच चित्रकला प्रतियोगिता में 27 लाख 28 हजार 668 और भाषण प्रतियोगिता में 12 लाख 37 हजार 810 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

नमो सेवा के तहत अब तक 3033 कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें 5208 कलाकारों ने भाग लिया। आंगन मिलन सेवा में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों ने भागीदारी की तथा 1 लाख 35 हजार 110 बहनों का सम्मान किया गया। सेवा की कहानी के अंतर्गत 5 लाख 25 हजार 54 प्रेरक कहानियां प्राप्त हुई हैं। वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा में 1706 नगरों और कस्बों में 6 लाख 48 हजार 520 नागरिकों की सहभागिता हुई। सेवा मेरा योगदान गतिविधियां 2 से 10 अक्टूबर तक संचालित की जाएंगी।

## कुपोषित बच्चों की मदद अब होगी डिजिटल निगरानी से

**नप्र, भोपालः** मध्यप्रदेश में कुपोषण के खिलाफ सरकारी प्रयासों के साथ समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं और दानदाताओं की भागीदारी को तकनीक से जोड़ने के लिए 'भावनी' पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल पोषण संबंधी आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गदर्शकों, सहयोगी संस्थाओं और दानदाताओं से पारदर्शी तरीके से जोड़ता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रणालियों से सत्यापित आंकड़ों के आधार पर बच्चों की पहचान की जाती है। बच्चों की व्यक्तिगत पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती और उनकी जानकारी अनाम रूप में प्रदर्शित होती है। पोर्टल पर मार्गदर्शक पंजीयन के बाद अपने क्षेत्र में उपलब्ध बच्चों की सूची देखकर उनकी पोषण स्थिति और आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकते हैं। सहायता का प्रकार और अन्य विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित बच्चे के लिए विशिष्ट सहायता पहचान क्रमांक तैयार होता है। सहायता देने के बाद भी बच्चे की पोषण स्थिति की निगरानी जारी रहती है।

# मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रदेश में होगा निरंतर विस्तार

**राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का निरंतर विस्तार किया जाएगा।

25 सितंबर से सेवा के अंतर्गत 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों का संचालन शुरू हुआ है। अगले पांच वर्ष में 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जिलों में यात्रियों के लिए सुविधायुक्त बस स्टैंड और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री मंत्रालय में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन यात्रियों और बस ऑपरेटरों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए। बंद बस डिपो और टर्मिनल को स्वच्छता अभियान चलाकर बैठक सहित अन्य सुविधाओं के विकास के साथ उपयोगी बनाया जाए। जहां बस स्टैंड या स्टॉप खत्म हो चुके हैं, वहां भूमि उपलब्ध कराकर सुविधा विकसित की जाए। निजी बस ऑपरेटरों के फिटनेस, परमिट की शर्तों, चालक के संचालन और व्यवहार का नियमित निरीक्षण किया जाए। बसों के सुचारु संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें कराने और सभी एजेंसियों के बीच आवश्यक संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सेवा का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रशासन और बस ऑपरेटरों के बीच नियमित संवाद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूर्व से संचालित फिट बसों का उपयोग किया जा रहा है और यात्री एप के माध्यम से यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं।

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि सेवा के तीन प्रमुख स्तंभ बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और अधोसंरचना हैं। प्रदेश में सात क्षेत्रों के 3636 मार्गों पर 13,006 बसों की व्यवस्था की जाना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी कार्यालय भवन की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यक 1190 पदों में से 400 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। वर्ष 2031 तक 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है।

## 10 तेंदुओं के अवैध शिकार और तस्करी मामले में परिवाद दायर

**राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः** अंतरराज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश ने कार्रवाई की है। 30 जुलाई को एसटीएसएफ भोपाल, क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी, वन्य-प्राणी वन मंडल कूनो और वन मंडल श्योपुर के संयुक्त दल ने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपितों की निशानदेही से तेंदुए की 42 हड्डियां जब्त कर वन अपराध दर्ज किया था।

जांच में संगठित गिरोह के शामिल होने के साक्ष्य मिले। अब तक हरियाणा, मध्यप्रदेश और दिल्ली के रहने वाले कुल 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से तेंदुए के अवयव बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। तेंदुए के शिकार में उपयोग किए जाने वाले छह घातक फंदे और एक चाकू भी बरामद किया गया है। 28 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी के समक्ष प्रकरण का परिवाद दायर किया जा चुका है। 21 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए आदेश के तहत वाइल्ड लाइफ एसओएस के सीईओ एवं सह-संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण जांच में सहयोग के लिए शिवपुरी पहुंचे। उनसे प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ जारी है। प्रकरण में शामिल गिरोह द्वारा श्योपुर और मुरैना जिले में 10 तेंदुओं का शिकार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह क्षेत्र संवेदनशील चीता लैंडस्केप के अंतर्गत आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने मंगलवार को भोपाल स्थित विद्योदय तीर्थ में विद्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन उपस्थित रहे।

## एनआईटीटीटीआर और ठेंगड़ी शोध संस्थान के बीच हुआ करार

**नप्र, भोपालः** राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल तथा दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से समझौता हुआ। संस्थान के निदेशक प्रो. चन्द्र चारू त्रिपाठी और दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, शोध, प्रशिक्षण और संगोष्ठियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों संस्थानों के संकाय एवं शोधकर्ताओं के बीच शैक्षणिक सहयोग और आदान-प्रदान भी होगा।

## भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का माध्यम बनी पुस्तक प्रदर्शनी

**नप्र, भोपालः** सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान, संस्कृति, परंपरा एवं जीवन मूल्यों से परिचित कराने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, योग, आयुर्वेद, विज्ञान और भारतीय चिंतन से संबंधित विभिन्न पुस्तकों के साथ महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भी प्रदर्शित की गईं। छात्राओं ने प्रदर्शनी में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पुस्तकों का अवलोकन किया और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. प्रतिमा यादव ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान के साथ संस्कृति, परंपराओं और जीवन दृष्टि से जुड़ने का सशक्त माध्यम हैं। प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. निशा जैन ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन-पाठन की रुचि बढ़ाना और भारतीय ज्ञान विरासत के प्रति जिज्ञासा विकसित करना है। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़े की विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पल्लवी पांडे ने किया।

## 10 लाख रुपये के विवाद के बाद कारोबारी ने की आत्महत्या

**परिजनों ने पुलिस को सौंपा सुसाइड नोट, ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर लगाए आरोप**

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** गांधी नगर थाना क्षेत्र के अब्बास नगर स्थित फाइन अपार्टमेंट में कारोबारी भूपेंद्र शर्मा ने 28 सितंबर को आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया।

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं, परिजनों ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपने की बात कही है। इसमें कैंटीन के काम और पैसों के लेन-देन को लेकर अमर अदानी सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

मृतक के बेटे दीप शर्मा के अनुसार उनके पिता के अमर अदानी से परिचित संबंध थे। काम छूटने के बाद उन्होंने अमर को करीब एक लाख रुपये दिए थे। इसके बाद सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कैंटीन का काम दिलाने की बात हुई। दीप के मुताबिक कैंटीन का सामान सहित पूरा काम करीब 10 लाख रुपये में देने की बात तय हुई थी। कुछ समय कैंटीन चलाने के बाद समझौता करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर विवाद बढ़ता गया और दो लाख रुपये और मांगने का दबाव बनाया गया।

परिजनों द्वारा दिए गए कथित सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने अमर अदानी से पैसे वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने ससुर शिवनारायण शर्मा पर भी परिवार को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

# 43वें जन्मदिन पर 4320 स्क्वाट्स कर डॉ. दीप्ति ने दिया फिटनेस का संदेश

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** अपने 43वें जन्मदिन को खास अंदाज में मनाते हुए जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी के जागरण सेंटर फॉर टीचिंग एक्सीलेंस की हेड डॉ. दीप्ति यादव ने 2 घंटे 54 मिनट में 4320 स्क्वाट्स पूरे किए। उन्होंने यह चुनौती प्रोफेसर कॉलोनी स्थित फिटनेस हेडक्वार्टर्स में अपने कोच फैज के मार्गदर्शन में पूरी की।

डॉ. दीप्ति इससे पहले 1111, 2140 और 3240 स्क्वाट्स की चुनौतियां भी पूरी कर चुकी हैं। फिटनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लंबे समय से जारी है। खेल और शारीरिक अनुशासन से उनका जुड़ाव पारिवारिक परिवेश से भी रहा है। उनके परिवार में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पहलवान रहे हैं। डॉ. दीप्ति का कहना है कि फिटनेस केवल शरीर को मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली और शारीरिक निष्क्रियता के दौर में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहिए। उनका संदेश है कि उम्र किसी लक्ष्य की राह में बाधा नहीं है। संकल्प, अनुशासन और निरंतर प्रयास से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकता है। जन्मदिन पर 4320 स्क्वाट्स की चुनौती के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।

## बैरागढ़ कलां में सड़क निर्माण कार्य शुरू

**नप्र, भोपालः** नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत वर्षा के कारण मुख्य मार्गों और सड़कों पर हुए गड्ढों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के संधारण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 3 के बैरागढ़ कलां क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीटीकृत सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम के यांत्रिक विभाग द्वारा सड़कों के गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों के संधारण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बैरागढ़ कलां क्षेत्र में लगभग एक माह पहले एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि मुख्य मार्ग के सीमेंट कांक्रीटीकरण का कार्य प्रगति पर है। मुख्य मार्ग और हाल ही में शुरू हुए निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद क्षेत्र की दो अन्य सड़कों का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से बैरागढ़ कलां क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

# शिक्षक सम्मान समारोह में सेवा भावना के महत्व पर दिया जोर

**नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः** नवयुवक परिषद द्वारा साधु वासवानी स्कूल के नंदवानी ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सिद्ध भाऊ की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

इसमें परिषद, भगवान कला केंद्र, नीतू महतानी मेमोरियल लाइब्रेरी और स्वामी विवेकानंद करियर अकादमी के शिक्षक एवं स्टाफ शामिल हुए। सिद्ध भाऊ ने मां सरस्वती, परमहंस संत शिरोमणि हिरदाराम साहिब और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने सेवा में भावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो व्यक्ति जिस भावना से सेवा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। संस्था के महासचिव मनोहर वासवानी ने बताया कि परिषद की स्थापना वर्ष 1978 में 20 विद्यार्थियों को गोद लेकर की गई थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 2000 तक पहुंच गई है। जीव सेवा संस्थान के सचिव महेश दयारामानी और परिषद के उपाध्यक्ष हीरो ज्ञानचंदानी ने शिक्षकों से निःस्वार्थ भाव से निर्धन बच्चों की सेवा करने का आह्वान किया।

## 'भारत को जानो' प्रतियोगिता में मिठी गोबिंदराम स्कूल के विद्यार्थियों ने जीता प्रथम स्थान

**नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः** नर्मदापुरम में आयोजित प्रांतीय स्तर की 'भारत को जानो' प्रतियोगिता में मिठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और विविधता के प्रति ज्ञान, जिज्ञासा एवं जागरूकता विकसित करना था। कनिष्ठ वर्ग में विद्यालय के अविरल बाबानी और मनन इसरानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वर्ग में प्रदेश के आठ शहरों की टीमों ने सहभागिता की। इस उपलब्धि के साथ दोनों विद्यार्थियों का चयन आगामी क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमें भाग लेंगी। संस्था के सचिव घनश्याम बूलचंदानी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और विविधता से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं।

## वर्षा थमते ही सड़कों के गड्ढे भरने का काम तेज

**नप्र, भोपालः** नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत मुख्य मार्गों सहित अन्य मार्गों और सड़कों के गड्ढे भरने की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

इसी क्रम में निगम के अमले ने मंगलवार को गुलमोहर कालोनी, इन्द्रपुरी, सोनागिरी, होशंगाबाद रोड सहित अन्य क्षेत्रों के मुख्य मार्गों और सड़कों पर वर्षा के कारण हुए गड्ढों को भरने का कार्य किया।


### नाम परिवर्तन सूचना

मैं ऊषा चांदलकर पत्नी श्री संतोष चांदलकर, आयु वयस्क, निवासी मकान नं. एच.एन 918. बुद्ध मंदिर बाणगंगा हुजूर टी.टी. नगर, भोपाल ग.प्र. 462003 आधार नं. 3140 6278 2689 यह कि अदिती चांदलकर मेरी पुत्री है जो कि केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 मैदामिल भोपाल ने कक्षा 9बी में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत है। मेरी पुत्री के उक्त स्कूल संबंधी समस्त दस्तावेजो एवं समस्त मार्कशीट में नाम त्रुटिवश जो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। अतः स्कूल संबंधी समस्त दस्तावेजो में मेरी पुत्री का सही नाम Aditi Chandalkar दर्ज किया जावे एवं मेरी पुत्री को आगे जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे उनमें मेरी पुत्री का सही नाम Aditi Chandalkar ही पढ़ा लिखा जावे।

1814

### कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

आवेदन क्रं. 0009308-APP-29295928
ग्राम का नामः बैरागढ़ चीचली
प.ह.नं. 14, तहसील कोलार, जिला भोपाल

**सूचना पत्र**

**प्रति**, 01. श्रीमति अनुप्रीति त्रिपाठी आ. एस.पी. त्रिपाठी, निवासी-ई-8/31, बसंत कुंज, भोपाल म.प्र.। 02. श्री अनोखीलाल पिता श्री मायाराम, निवासी-ग्राम-नयापुरा तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र. । 03. श्री गोवर्धन खातेदार-बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र. । 04. शोमवती गुप्ता निवासी अभिमन्यु अपार्टमेंट ई-7/103 लाला लाजपत सोसायटी भोपाल। 05. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति सरला चौहान पत्नि श्री नारायण सिंह चौहान निवासी-जी-2/269 गुलमोहर कालोनी भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम बैरागढ़ चीचली प.ह.नं. 14 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 512/3/2 रकबा 0.0900 हे. कुल खसरा नंबर 01 कुल रकबा 0.0450 हे. भूमि के बटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदित उक्त भूमि का मौका जाँच मेरे द्वारा दिनांक 07/10/2026 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटान से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में मौका जाँच कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में मौका जॉच की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 28.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

**राजस्व निरीक्षक**
**तहसील कोलाए जिला भोपाल**

1813

### कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

**आम सूचना**

ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक 455 ए मण्डल द्वारा श्री मोती लाल गुप्ता आत्मज श्री नाथूराम गुप्ता के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 12/11/1984 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है। श्री मोती लाल गुप्ता द्वारा श्री सैयद इम्तियाज अली आत्मज श्री सैयद इफ्तिखार अली को मुख्तारनामा उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 5/6/1985 को पजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री मोती लाल गुप्ता द्वारा भवन का विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 30/11/2002 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत कराकर संपत्ति श्रीमती कमर इम्तियाज पत्नी श्री सैयद इम्तियाज अली को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमती कमर इम्तियाज द्वारा श्री जावेद खॉं आत्मज श्री हाजी मतीन को मुख्तारनामा उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 11/9/2006 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री जावेद खॉं मुख्तारनामा द्वारा भवन का विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 26/9/2006 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत कराकर संपत्ति श्री अब्दुल रशीद आत्मज श्री हाजी अब्दुल हमीद को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु केता/विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के केता श्री अब्दुल रशीद द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 26/09/2006 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। उनके द्वारा यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि भवन के मूल आवंटी श्री मोती लाल गुप्ता आत्मज श्री नाथूराम गुप्ता, श्रीमती कमर इम्तियाज पत्नी श्री सैयद इम्तियाज अली एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नहीं चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगी। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विक्रय विलेख दिनांक 26/09/2006 के आधार पर उका संपत्ति श्री मोती लाल गुप्ता आत्मज श्री नाथूराम गुप्ता, से श्रीमती कमर इम्तियाज पत्नी श्री सैयद इम्तियाज अली के नाम हस्तान्तरित करते हुए श्री अब्दुल रशीद आत्मज श्री हाजी अब्दुल हमीद के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी / या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा

**सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल**

1812

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण द्वारा चेतन कुमार आ. शिबनारायण सिंह परमार नि.म.न. 1566 गैस राहत कालोनी करोंद केबलराम चैनराय पब्लिक स्कूल तह. हुजूर जिला भोपाल से कृषि भूमि जोकि खसरा क्र 273/1 (एस) रकबा 1.03, हेक्टेयर अर्थात 2.54 एकड़ भूमि में से 2.0 एकड़ कृषि भूमि जोकि ग्राम रास्लाखेड़ी प.ह.नं.13 रा.नि.नं. 01. वि. खण्ड फंदा मुख्य मार्ग से अंदर तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है तथा नगर निगम सीमा के बाहर है, जिसका भू अधिकार ऋण पुस्तिका सी.एल.आर. कं.043419 है को क्रय करने का अनुबंध कर बयाना राशि अदा कर दी है उक्त भूमि रजनी जैन पत्नि महेन्द्र कुमार जैन नि.म.नं. 132, डी. के. कॉटेज बावड़िया कला दाना पानी के पास भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की है उक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, शासकीय, अर्द्धशासकीय या किसी भी अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा समयावधि पश्चात मेरा पक्षकार उक्त भूखंड का पंजीयन अपने नाम करा लेगा उसके उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपरोक्त विज्ञप्ति जारी करने हेतु मेरे द्वारा नदीम अहमद अधिवक्ता को अधिकृत किया गया है।

**NADEEM AHMAD,**
**ADVOCATE**
**Office:- Shop no. 35, 1" floor Center point complex, Jinsi chouraha, Jahangirabad, Bhopal (M.P.)-462008**
**Mob No.-7869679179,8319946695**

1811

### कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कोलार, जिला भोपाल म.प्र.

**इश्तहार**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक 18th एवेन्यू रहवासी रखरखाव संस्था, भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्रीमती मेनका शुक्ला द्वारा ग्राम-बावाड़ियाकलां स्थित 18th एवेन्यू रहवासी रखरखाव संस्था, भोपाल, द्वारा प्रकोष्ठ स्वामित्व नियन-2000 एवं नियम-2018 के अंतगर्त पंजीयन किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस उद्घोषणा के जारी होने के पश्चात आगामी 15 दिवस तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयवधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 24/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

**अनुविभागीय अधिकारी**
**तहसील-कोलार, भोपाल**

1810

### न्यायालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक-/अ-6/26-27
ग्राम का नाम अकबरपुर
तहसील कोलार, भोपाल

**इश्तहार**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री इन्द्रप्रकाश शर्मा आ. श्री मुकेश शर्मा निवासी मकान नंबर बी-98 एवं बी-99 राजवेद कॉलोनी नयापुरा कोलार रोड भोपाल द्वारा ग्राम अकबरपुर मे भूमि खसरा नंबर 79 के अंश भाग पर स्थित प्लाट क्रमांक बी-98 एवं बी-99 'राजवेद कॉलोनी' जिसका कुल क्षेत्रफल 3000 वर्गफिट अर्थात् 278.80 वर्गमीटर भूमि का वसीयत पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त वसीयत पत्र के आधार पर नामातंरण किये जाने के सम्बंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/दावा स्वयं या अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई तिथि 13/10/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 29/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया।

**तहसीलदार**
**तहसील कोलार, भोपाल**

1809

### परिशिष्ट B-संख्यांक 13

**जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल मैक ट्रिब्यूनल भोपाल**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमएसीसी/1220/2025
लखन खरे बनाम अबीर वर्मा
NEXT DATE :27-10-2026

**प्रेषिती**, (1) अबीर वर्मा पता-निवासी-झुग्गी नंबर 79, ब्लॉक नंबर-17, सैहाद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल (2) श्रीमती सीमा शिवेन्द्र स्व. शिवेन्द्र शर्मा पता-निवासी-झुग्गी नंबर 79/17, सौहाद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल म.प्र. **यह कि प्रार्थी** लखन खरे ने आपके विरूद्ध एमएसीसी/1220/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 07-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

**जयंत शर्मा, न्यायाधीश**
**बारहवें जिला न्यायाधीश मैक ट्रिब्यूनल जिला भोपाल (म.प्र.)**

1808

### परिशिष्ट B-संख्यांक 13

**जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल दशम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल**

नोटिस प्रकाशन हेतु
उत्तराधिकार

एमजेसी एसयूसी/104/2025
श्रीमती रोजलीना प्रकाश बनाम श्रीमती सिसीलिया प्रकाश
NEXT DATE :23-10-2026

**प्रेषिती,** सर्वसाधारणआम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रोजलीना प्रकाश पता - म. नं. 2/17 चतुर्थ मंजिल न्यू छत्तीस क्वाटर गोकुलधाम सोसायटी साउथ टी.टी. नगर की भोपाल म.प्र. ने मृतक -राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 23-10-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 23-10-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। आज तारीख 18-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

**शरद जायसवाल, न्यायाधीश**
**दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)**

1807

### कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

जावक क्रमांकः 1529
परिवाद क्र. 698/2025
पेशी दि. 01/12/2026

कैलाश नारायण ......परिवादी.....**विरूद्ध**... मो. इमरान खान ......**अनावेदक/विपक्षी**

**प्रति**, 1-सलमान खान, निवासी- पता- अमायरा डेन्टिंग पेंन्टिग की दुकान, ग्राम ग्वालटोली आरजी पी. वी यूनिवर्सिटी के सामने भोपाल म.प्र. 2-अरमान ग्राम पिपरिया हसनाबाद सुखारिया भोपाल म.प्र. मोसम इंटरप्रायजेज ने आपके विरूद्ध परिवादपत्र दायर किया है। आप इस आयोग में दिनांक 01/12/2026 को प्रातः 11:00 बजे स्वयं/अधिकृत व्यक्ति/अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर परिवाद का उत्तर पेश करें, जिन पर आप अपनी प्रति रक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं । आपको सूचित किया जाता है कि, यदि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं या उपस्थित होकर अपने मामले का कथन पेश नहीं करते हैं, तो परिवाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। आज दिनांक 24/09/2026 मेरे हस्ताक्षर एवं पीठ की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

**(योगेश दत्त शुक्ला)**
**जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल म.प्र.**

1806